न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़, जिला—अजमेर

पीठासीन अधिकारी : कार्तिक शर्मा, आर.जे.एस.

आपराधिक नियमित प्रकरण सं. : 95 / 2022

सी.आई.एस. प्रकरण सं. : 95 / 2022

राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी.

ब ना म

1. किशनलाल पुत्र हाथीराम
2. श्रीमती गंगा पत्नी किशनलाल
निवासीगण जोरावरपुरा पुलिस थाना बोराडा जिला अजमेर

......अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 / 34 भा.दं.सं.

उपस्थितिः—

1. सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य
2. श्री महेन्द्रसिंह राणावत अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

निर्णय **दिनांकः 02.05.2026**

1. इस प्रकरण में दिनांक 03.03.2022 को विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने थानाधिकारी पुलिस थाना बोराडा की ओर से अभियुक्तगण किशनलाल एवं श्रीमती गंगा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी धन्नाराम ने थानाधिकारी पुलिस थाना बोराडा को एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि दिनांक 26.02.2022 को सुबह करीब 10—11 बजे वह अपने घर पर घरेलु कार्य कर रहा था इतने में बिना किसी कारण के जान से मारने की नीयत से एकराय होकर आपराधिक नीयत से हाथों में लकडियां लेकर मनीराम, किशनलाल, गंगा घर के अंदर घुस गए एवं आते ही उसे कहा कि तेरा बाप कहां पर है, आज हम उसे जान से खत्म करेंगे। इतने में मनीराम व गंगादेवी दोनों के हाथों में लकडियां थी जिससे लकडी की उसके सिर पर ललाट पर मारी जिसके कारण उसके सिर पर गहरी चोट लगी व खून निकल आया तथा वह बेहोश हो गया एवं उसके शरीर पर जगह—जगह चोटे आयी। जब उसने कहा कि उसके साथ मारपीट क्यों कर रहे हो इतने में वे और आवेश मे आ गए एवं उसके पडे हुए के साथ मारपीट की जिससे दोनो हाथें की अंगुलिया व पीछे कमर पर लकडियों की मारी। जब वह चिल्लाया तो उसके पिताजी हाथीराम आए तो उनके सिर पर भी लकडी की मारी जिससे उनके भी सिर पर गहरी चोट आयी व मौके पर बेहोश हो गए। पिताजी की हालत ज्यादा नाजुक है। उसके पिताजी की अंगुलियों पर भी लकडी की मारी जिससे अंगुली फ्रेक्चर

हो गयी,..... आदि रिपोर्ट पर पुलिस थाना बोराडा द्वारा मुकदमा सं. 50/2022 अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. में दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण किशनलाल एवं श्रीमती गंगा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाने पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण को नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्तगण के न्यायालय के उपस्थित आने पर बहस आरोप सुनी जाकर उक्त अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 325/34 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.–1 धन्नराम, पी.ड. 2 सत्यनारायण, पी.ड. 3 करतार, पी.ड. 4 हरिराम, पी.ड. 5 डॉ. मुकेश कुमार, पी.ड. 6 हाथीराम, पी.ड. 7 छोटुलाल, पी.ड. 8 प्रतापसिंह को परीक्षित कराया गया। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 तहरीर रिपोर्ट, प्रदर्श पी–2 चॉक एफ.आई.आर, प्रदर्श पी–3 नक्शा मौका, प्रदर्श पी–4 पुलिस बयान हरिराम, प्रदर्श पी–5 चोट प्रतिवेदन धन्नाराम, प्रदर्श पी–6 एक्सरे प्लेट धन्नाराम, प्रदर्श पी–7 चोट प्रतिवेदन हाथीराम, प्रदर्श पी–8 एक्सरे प्लेट हाथीराम, प्रदर्श पी–9 मेडिकल मुआयना कराने बाबत तहरीर दस्तावेजात को प्रदर्श एवं प्रमाणित करवाया गया है।

5. अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत् लिये गये तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

6. बहस अन्तिम सुनी गयी। दौराने बहस अंतिम विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से दौराने बहस कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित समस्त गवाहान की साक्ष्य एवं अन्य प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा यह तर्क दिया गया कि गवाहान के बयानों से घटना की ताईद नहीं होती है। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण झूंठा दर्ज करवाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभास है नक्शा मौका गवाहान के बयानों से साबित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे विचारणीय बिंदु यह है कि....

8. **क्या दिनांक 26.02.2022 को समय करीब सुबह करीब 10–11 बजे जोरावरपुरा में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में आहतगण धन्नराम एवं हाथीराम का सदोष अवरोध कारित कर थाप मुक्कों व स्वेच्छया कुंद हथियार लकडियों से मारपीट कर साधारण उपहतियां एवं आहत धन्नराम के दांये हाथ की अंगुली एवं हाथीराम के दोनो हाथों की अंगुलियों पर गंभीर उपहतियां कारित की? यदि अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध साबित हैं तो उनके लिए समुचित दंड क्या होगा?**

9. हस्तगण प्रकरण में पुलिस थाना बोराडा द्वारा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–2 दर्ज कर प्रकरण में बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दंड संहिता के तहत नतीजा पेश किया।

10. धारा 341, 323, 325/34 में न्यायालय को यह देखना अनिवार्य है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा धारा 341, 323, 325 भादंसं का अपराध कारित किया अथवा नहीं। धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. यह प्रावधानित करती है कि–

*''**धारा 341 सदोष अवराध के लिए दंड**– जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्मने से, जो पांच सौ रूपए तक हो सकेगा, या दोनो से, दण्डित किया जाएगा''।*

*'**धारा 323 स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड–** उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास, से जिसके अवधि एक वर्ष तक की हो सकगी, या जुर्मने से, जो एक हजार रूपए का हो सकेगा, या दोनो से, दण्डित किया जाएगा।*

*''**धारा 325 स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड –** उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, तथा जुर्मने से भी दण्डनीय होगा।'।*

*"**धारा 320 घोर उपहति –** उपहति की केवल निम्न किस्मे "घोर" कहलाती है –*
1. पुंस्त्वहरण
2. दोनो में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद
3. दोनो में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थायी विच्छेद
4. किसी भी अंग या जोड का विच्छेद
5. किसी भी अंग या जोड की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास
6. सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपिकरण
7. अस्थि या दांत का भंग या विसंधान
8. कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीडा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है। "

11. हस्तगत प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325/34 भा.द.स. के आरोपों के तहत विचारण किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में अंकन किया गया है कि दिनांक 26.02.2022 को सुबह करीब 10–11 बजे वह अपने घर पर घरेलु कार्य कर रहा था इतने में बिना किसी कारण के जान से मारने की नीयत से एकराय होकर आपराधिक नीयत से हाथों में लकडियां लेकर मनीराम, किशनलाल, गंगा घर के अंदर घुस गए एवं आते ही उसे कहा कि तेरा बाप कहां पर है, आज हम उसे जान से खत्म करेंगे। इतने में मनीराम व गंगादेवी दोनों के हाथों में लकडियां थी जिससे लकडी की उसके सिर पर ललाट पर मारी जिसके कारण उसके सिर पर गहरी चोट लगी व खून निकल आया तथा वह बेहोश हो गया एवं उसके शरीर पर जगह–जगह चोटे आयी। जब उसने कहा कि उसके साथ मारपीट क्यों कर रहे हो इतने में वे और आवेश मे आ गए एवं उसके पडे हुए के साथ मारपीट की जिससे दोनो हाथें की अंगुलिया व पीछे कमर पर लकडियों की मारी। जब वह चिल्लाया तो उसके पिताजी हाथीराम आए तो उनके सिर पर भी लकडी की मारी जिससे उनके भी सिर पर गहरी चोट आयी व मौके पर बेहोश हो गए। पिताजी की हालत ज्यादा नाजुक है। उसके पिताजी की अंगुलियों पर भी लकडी की मारी जिससे अंगुली फ्रेक्चर हो गयी। इस संबंध में न्यायालय के समक्ष आहत/प्रार्थी धन्नाराम स्वयं पी.ड. 1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया किया कि दिनांक 26.02.2022 को सुबह 10–11 बजे वह अपने घर पर ही था। तब मनीराम, गंगा देवी और किशनलाल हाथों में लाठी लेकर आए और आते ही उसके पिता हाथीराम के साथ मे मारपीट की। जब वह बीचबचाव कराने गया तो उसके साथ भी लाठी से मारपीट की। उसके पिताजी के बाएं हाथ में चोट आई और अंगुली फ्रेकचर हो गई। इन लोगों द्वारा की गई मारपीट में उसके दांए हाथ में चोट लगी और फ्रेक्चर हो गया। सिर में और पीठ में भी चोटें आई। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया कि घटना 26.02.2022 की है। गवाह ने कथन किया कि पुलिसवाले जब मौका मुआयना देखने आए तभी उसने वहीं पर रिपोर्ट दी थी। गवाह ने कथन किया कि जिस दिन पुलिसवाले मौके पर आए उसी दिन उनका डॉक्टरी मुआना हुआ था।

12. प्रकरण के अन्य आहत गवाह पी.ड. 6 हाथीराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि लगभग साढे तीन साल पहले सुबह 11 बजे की बात है वह खेत पर था वहां पर गंगा देवी मेड पर लकडियां गाढ रहीं थी, तब उसके बेटे धन्नाराम ने उनकों मना किया तो इस बात को लेकर इनके मध्य कहा सुनी हो गई। उसका बेटा धन्नाराम यह बात उसे बता रहा तब किशनलाल और गंगा दोनो हाथों में लकडीयां लेकर आये और उसके व उसके बेटे के साथ उस बात को लेकर मारपीट करने लगे। इन दोनों ने लकडियों से उसके व उसके बेटे के हाथ पैर, सिर व पीठ पर मारी जिससे उसके सिर व हाथ में चोट लगी। उसके बॉये हाथ की अगुंली में फ्रेक्चर हो गया था। उसके बेटे के भी सिर में, पीठ में

चोट लगी और सीधे हाथ में फ्रेक्चर हो गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि किशनलाल की पत्नी गंगा खेत पर लकडियां काट रही थी, उसको मना करने पर वहां कहासुनी हो गयी थी। खेत पर उनके आपस में बोलचाल हो गयी थी। यह स्वीकार किया कि किशनलाल व धन्नाराम के आपस में नहीं बनती है।

13. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 2 सत्यनारायण ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि करीब डेढ साल पहले सुबह 10–11 बजे की बात है। वह अपने ससुर हाथीराम जी से जौरावरपुरा में मिलने के लिए आया था। मन्नीराम, किशनलाल और गंगा ने हाथीराम व धन्नाराम के साथ मारपीट की। जिससे दोनों के सिर व हाथों में चोट लगी जिससे उनके हाथ फ्रेक्चर हो गया। प्रतिपरीक्षण में गवाह की साक्ष्य से उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों का कोई विरोधाभास अथवा खण्डन नहीं आया है जिससे उसके मुख्य परीक्षण में किए गए कथन अखण्डनीय रहे हैं। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 3 करतार ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा खेत की मेड की बात को लेकर दोनो पक्षों में कहासुनी होने की बात को लेकर गंगा, किशनलाल व मन्नीराम द्वारा लकडियों से हाथीराम व धन्नराम के साथ मारपीट किए जाने का कथन किया। प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि उस समय वह ट्रेक्टर लेकर आ रहा था तब गाली–गलौच चल रही थी, उनके मध्य मारपीट पहले हो चुकी थी, उसने दोनो पक्षों को छुडाया था।

14. इसी प्रकार गवाह पी.ड. 4 हरिराम पक्षद्रोही होकर मुख्य परीक्षण मे कथन कि दिनांक 26.02.2026 को सुबह करीब 11 बजे हाथीराम के घर के पास की बात है। किशनलाल और गंगादेवी दोनो हाथीराम व धन्नाराम से लड रहे थे। वे लोग जमीन पर मेड की बात को लेकर लड रहे थे। हाथीराम व धन्नाराम के लडकी से गंगा व सुरेश ने मारी थी। जिससे दोनो के हाथ पर लगी और हाथ टूट गये। अभियोजन पक्ष की जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया कि मारपीट उसके सामने हुयी थी। गवाह ने यह स्वीकार किया कि किशनलाल, गंगा व सुरेश के द्वारा मारपीट करने से हाथीराम के हाथ पर चोट लगी जिससे उनका हाथ टूट गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी जिरह मे गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया कि मारपीट की बात उसे हाथीराम व धन्ना ने बताई हो अजखुद कहा कि उसने देखी थी। गवाह ने कथन किया कि धन्नाराम व हाथीराम की सारी अंगुलियां टूट गयी थी। उस समय करतार व उसने बीचबचाव करवाया था।

15. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आहतगण धन्नराम एवं हाथीराम तथा अन्य चश्मदीद साक्षीगण ने अपने–अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा आहतगण धन्नाराम एवं हाथीराम के साथ लात–घूसों एवं लकडियों मारपीट करने जिससे उनकी हाथों की अंगुलियो का टूट जाने का कथन किया है। प्रकरण में यद्यपि गवाह करतार ने कथन किया कि जब वह आ रहा था तब गाली–गलौच हो रही थी मारपीट हो चुकी थी। परन्तु अन्य गवाह हरिराम ने मारपीट होने का कथन किया एवं उसके व करतार

के द्वारा बीचबचाव किए जाने का कथन किया है जिसका कोई खण्डन अथवा विरोधाभास पत्रावली में नहीं आया है।

16. प्रकरण में आहतगण को कारित चोटों की सम्पुष्टि हेतु चिकित्सकीय साक्षी गवाह पी.ड. 5 डॉ. मुकेश कुमार को परीक्षित करवाया है, जिसने मुख्य परीक्षण में आहतगण धन्नाराम एवं हाथीराम के शरीर पर आई चोटों की सम्पुष्टि करते हुए चोट प्रतिवेदन बनाए जाने तथा मजरूबान के हाथों मे फ्रेक्चर होने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यह स्वीकार किया कि मजरूबान के चोटे ठोस धरातल पर दोपहिया वाहन से गिरने पडने से आना संभव है। यह स्वीकार किया कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–5 एवं प्रदर्श पी–7 पर मरूबान के अंगुठा निशानी व हस्ताक्षर नहीं है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा आहतगण को कारित चोटों का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–5, एवं प्रदर्श पी–7 तथा एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–6 एवं प्रदर्श पी–8 को प्रदर्शित करवाया है जिसके अवलोकन से आहतगण धन्नाराम एवं हाथीराम को कारित चोटों की सम्पुष्टि होती है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 8 प्रतापसिंह को परीक्षित करवाया गया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान के दौरान की गयी कार्यवाही की सम्पुष्टि की है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि अभियुक्तगण व परिवादीगण के मध्य खेतों में लकडी गाडने को लेकर विवाद रंजिश चली आ रही थी। अन्य गवाह पी.ड. 7 छोटुलाल प्रकरण से संबंधित चार्जशीट न्यायालय में पेश किए जाने संबंधी कथन किए हैं।

17. उपरोक्त सभी तर्कों के आधार पर अभियोजन पक्ष धारा 341, 323, 325/34 भा.दं.सं. का अपराध संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकार पत्रावली पर जो साक्ष्य पेश की गई है, उसके आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण किशनलाल एवं श्रीमती गंगा के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: आदेश::–

18. अतः अभियुक्तगण 1. किशनलाल पुत्र हाथीराम एवं 2. श्रीमती गंगा देवी पत्नी किशनलाल निवासीगण जोरावरपुरा पुलिस थाना बोराडा जिला अजमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करार दिया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

{ कार्तिक शर्मा }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर

19. सजा के प्रश्न पर सुना गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है उनके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। यदि अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है तो इससे अभियुक्त के सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर दोषसिद्ध अपराध में परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया। जबकि दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने पुरजोर विरोध करते हुए अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

20. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है व न ही दौराने अन्वीक्षा पेश किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त को आरोपित अपराधों में परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश::

21. अतः अभियुक्तगण 1. किशनलाल पुत्र हाथीराम एवं 2. श्रीमती गंगा देवी पत्नी किशनलाल निवासीगण जोरावरपुरा पुलिस थाना बोराडा जिला अजमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप हेतु दोषसिद्ध करार दिया जाने पर उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त रुपए 10,000/– के स्वयं के बंधपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन पेश करें कि वह ऐसे अपराध की पुनरावृर्ती नहीं करेगा, उक्त अवधि के दौरान सदाचार बनाए रखेगा, शर्त भंग होने पर न्यायालय में सजा पाने के लिए उपस्थित हो जाएगा, पेश कर तस्दीक करावें तो उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5 के तहत **प्रत्येक अभियुक्त** पर 750/– रूपए अक्षरे सात सौ पचास रूपए कुल 1500/– रूपए अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किए जाते हैं जो जमा राजकोष रहे। **अभियुक्तगण द्वारा प्रथम बार परिवीक्षा का लाभ लेने के बाबत शपथ पत्र पेश किया जावे।** अभियुक्त की ओर से पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत व बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

{ कार्तिक शर्मा }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर

22. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 02–05–2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

{ कार्तिक शर्मा }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर